<u>वाणिज्यिक न्यायालय क्रम 4, जयपुर महानगर– द्वितीय</u>

सीएमएनसी प्रकरण सं0 19/2021 सीआईएस – 90/2019 सीएनआर – RJJT1A-000131-2019

सीएमसी प्रकरण सं0 260/2024 सीआईएस – 539/2024 सीएनआर – RJJT1A-001480-2024

होटल लीना वेन्चर लिमिटेड **बनाम** आर.एम.एस.ई. व अन्य

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.03.2024	प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुरूप सिंघवी उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता श्री अजय अग्रवाल उपस्थित। प्रकरण में स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। बहस स्थगन प्रार्थना पत्र सुनी गयी। वि0 अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उठाये गये तथ्यों की पृनरावृत्ति की एवं निवेदन किया कि मूल आपत्ति याचिका के निस्तारण तक आलौच्य पंचाट दिनांक 25.09.2018 की क्रियान्विति पर रोक लगायी जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने स्थगन प्रार्थना पत्र जवाब पेश न कर सीधे मौखिक बहस किये जाने का निवेदन किया, जो न्यायहित में दी गयी। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने मौखिक बहस में प्रार्थी द्वारा पेश स्थगन प्रार्थना आलौच्य पंचाट दिनांक 25.09.2018 की क्रियान्विति पर रोक लगाने की वांछा का विरोध किया और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष को सुना गया तर्कों पर मनन किया गया। वाद पत्रावली व हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र पत्रावली का आद्योपान्त अनुशीलन व अवलोकन किया गया। दिनांक 01.04.2019 के फर्द अहकाम में यह तथ्य आया है कि प्रत्यर्थियों को 6,07,463/– रूपये का डीडी प्राप्त करने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा समनुज्ञात किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला, अपरिमेय क्षति व सुविधा संतुलन के कारकों पर विचार किया गया। प्रकरण के समग्र तथ्यों, परिस्थितियों और न्यायहित पर समग्र रूप से विचार करने के बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन इस अनुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ताफैसला मूल आपत्ति याचिका तक प्रकरण में आलौच्य अवार्ड दिनांक 25.09.2018 की क्रियान्विति पर रोक लगी रहेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अहकाम मूल आपत्ति याचिका के फैसले के अध्यधीन रहेगा। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नियमानुसार संलग्न मूल आपत्ति प्रार्थना पत्र रहे। प्रकरण चिन्हित प्रकरणों में सूचीबद्ध है। पक्षकारान को हिदायत दी जाती है कि वे आयन्दा आगामी पेशी पर प्रकरण में अपनी लिखित बहस पेश करें। पत्रावली में यदि कोई दीगर प्रार्थना पत्र विचाराधीन हो तो सीगा इस निमित्त आवश्यक रूप से अपनी रिपोर्ट पत्रावली पर रखें। पत्रावली वास्ते पेश होने लिखित बहस उभयपक्ष हेतु दिनांक 09.04.2025 को पेश हो। AMIT KUMAR KARWASRA Digitally signed by AMIT KUMAR KARWASRA Date: 2025.03.19 11:30:04 +0530	